भारत सरकार

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय

भारी उद्योग विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3464

जिसका उत्तर मंगलवार 08 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना

3464. श्री रामचरण बोहरा:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की उपभोक्ताओं द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए अनुदान प्रदान करने संबंधी कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री

(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाइयों की स्थापना हेतु विदेशी निवेश प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों के साथ कोई समझौते हस्ताक्षरित नहीं किए हैं।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): जी, हां। देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2015 से एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को विकसित करना तथा इसके विनिर्माण पारिस्थितिकी-तंत्र की सहायता करना है। इस स्कीम के तहत, सभी वाहन सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार का सृजन करना है। व्यापक अंगीकरण को सुनिश्चित करने के वास्ते क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता) के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम तौर पर घटाए गए क्रय मूल्य के रूप में उपलब्ध है। इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए इस स्कीम के तहत अनुमत विस्तृत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के **अनुबंध 13** में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

****